झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (विविध) 14/2021— 404

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :— 25.04.2022

विषय :— **राज्य खाद्य आयोग के अपीलवाद वाद संख्या—11/2019 श्री नसीम गद्दी, वार्ड पार्षद, वार्ड सं0—45 बनाम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः— आयोग का पत्रांक—140 दिनांक—20.02.2020, पत्रांक—427 दिनांक—10.07.2022, पत्रांक—526 दिनांक—15.09.2020, पत्रांक—204 दिनांक—12.03.2021, पत्रांक—347 दिनांक—25.06.2021 एवं पत्रांक—456 दिनांक—04.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आयोग के विषयांकित अपीलवाद में दिनांक—12.02.2020 को पारित आदेश में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची को यह निर्देश दिया गया था कि जिन बच्चो को पोषाहार नहीं दिया गया उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा—8 के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान एक माह के अन्दर सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएँ।

उक्त मामले में पारित आदेश के अनुपालन हेतु इसकी प्रति संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई। पुनः आयोग के प्रासंगिक पत्र पत्रांक—140 दिनांक—20.02.2020 द्वारा उक्त पारित आदेश आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित की गई एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा भी उक्त मामले में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। दिनांक—25.08.2021 को आपके साथ हुई बैठक में भी इस विषय पर आपके द्वारा कार्रवाई किए जाने के संबंध में आश्वस्त किया गया।

उक्त मामले में आपका पत्र ज्ञापांक—205 दिनांक—28.01.2022 आयोग को प्राप्त है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान संबंधी नियमन पर मार्ग निर्देशन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि चूँकि आयोग द्वारा पारित आदेश भारत सरकार के ICDS Rules 2017 के रद्द किये जाने की तिथि अर्थात दिनांक—29.06.2021 से पूर्व का है। अतः विषयांकित वाद में पारित आदेश का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित अवधि में अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा—20 (2) के तहत् प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यवहार न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ करने की कार्रवाई हेतु बाध्य होगा।

विश्वासभाजन

25/04/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261